राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द | सरकार

तारीख हुक्म	461/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने सहायक कलक्टर कोटपुतली के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी ख०न० 910 वाके मौजा सुन्दरपुरा तहसील कोटपुतली के वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार है, जिसका इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2027 मे भी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर का हाल खसरा नम्बर 1009/2140 रकबा 0.42 है० व 1009/0.37 है० हुआ। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा खतौनी मे ख०न० 1009 हेतु प्रार्थी का नाम व रकबा 0.37 हेतु नलीनाला दर्ज हुआ। वादी को बगैर सूचना रकबे मे तोड़ फोड़ कर कुल रकबा 2.40 मे से 1.54 शामिल मे कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड मे हाल खसरा नम्बर 1009/2140 मे रकबा 0.42 है० चरागाह कर दिया एवं 0.37 हैक्टयर के सम्बन्ध मे वादी का नाम अंकित किया गया जबकि भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार दुरूस्ती करने एवं काटपीट करने का कोई अधिकार था एवं ना ही वादी को इस सम्बन्ध मे कोई नोटिस दिया गया। उक्त सम्बन्ध मे भू प्रबन्ध विभाग से जानकारी होने पर वादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रकरण प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द / सरकार

तारीख हुक्म	561/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2	

जिस पर वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। प्रश्नगत आराजी ख.न. 1009/2140 मे जो रकबा 0.42 हैक्टयर चरागाह कर दिया गया जबकी खसरा परिवर्तित निर्धारण व गैर मुमकीन काश्त सम्वत 2027 से आजतक व इससे पूर्व भी रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि को काफी पैसा लगाकर काबिले काश्त व उपजाऊ बनाई है। अत: कदीमी कब्जे के आधार पर स्वत: ही वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। चरागाह राजस्व रिकार्ड मे हटाई जाने की इस्तदुआ के साथ साबिका ख. न. 910 वाके मौजा सुन्दरपुरा के हाल ख.न. 1009/2140 रकबा 0.42 है० वाके मौजा सुन्दरपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदुआ की गई। उक्त वाद मे तहसीलदार कोटपुतली की ओर से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ, जिसके जिम्मन नम्बर-3 मे अंकित किया गया कि भू-प्रबन्ध विभाग ने मुताबिक रिकार्ड एवं कब्जे से नया रिकार्ड तैयार किया है, जिसमे किसी प्रकार की त्रुटी नही है एवं राजकीय चरागाह भूमि पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना लैण्ड होल्डर का दायित्व है। वादी रिकार्ड एवं साक्ष्य, सबूत से दावा अपने हक मे सिद्ध करता है तो विधि सम्मत निर्णय से प्रतिवादी को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे दोनो

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	461/2016 कैलाशचन्द / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षो की बहस सुनने के पश्चात यह अंकित करते हुये कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-2 जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2069 से 2072 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खाना नम्बर-3 भूमि धारक का नाम राजस्थान सरकार एवं खाना नम्बर-4 काश्तकार के खाने मे वादी का नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह भी अंकित किया गया कि साबिका ख.नं. 910 वाके मौजा सुदरपुरा 6161 का खातेदार काश्तकार था, जिसके नये नम्बर 1009/2140 रकबा 0.42 है० व 1009 रकबा 0.37 हैक्टयर बने। राजस्व कर्मचारीओ ने हाल राजस्व रिकार्ड के ख.नं. 1009/2140 जो कि वादी की खातेदारी की भूमि थी को चरागाह दर्ज कर दिया, जिससे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे 0.37 है० भूमि ही रह गई परन्तु वादी ने अपने वाद मे यह नहीं बताया कि वादी का जो रकबा कम हुआ वह रकबा राजकीय भूमि के किस खसरा नम्बर में बढा है जो चरागाह भूमि दर्ज की गई है वह किस साबिका खसरा नम्बर मे समाहित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी अपना वाद साबित करने मे असफल रहा है, जिससे वादी का वाद खारिज फरमाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई।	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
461/2016	5	

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे यह स्वीकार गया है कि वादी का रकबा कम हुआ है किन्तु वह किस खसरा नम्बर मे सम्मिलित कर दिया गया है यह अपीलार्थी द्वारा नही बताया गया है जबकि वादी/अपीलार्थी द्वारा वाद मे स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादी के खाते की कम हुई आराजी चरागाह मे दर्ज कर दी गई है जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जब यह स्वीकार किया गया था कि वादी के खाते की आराजी कम की जाकर कम किया रकबा चरागाह मे दर्ज कर दिया गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के कम किये रकबे की पूर्ति चरागाह के रकबे को कम किया जाकर की जानी थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक अस्पष्ट आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे निवेदन किया कि चरागाह आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 मे वर्जित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर वादी का खारिज किया गया है। अतः अपील भी खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	461/2016 — कैलाशचन्द / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी की खाते की आराजीयात कम हुई है एवं कम हुये रकबे का चरागाह मे इन्द्राज होना वादी/अपीलार्थी द्वारा दर्शाया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की कम हुई आराजी की पूर्ति हेतु किसी प्रकार से तहसील से कोई रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त नही गई है कि वादी का कम हुआ रकबा किसके खाते मे या चरागाह मे बनी है जबकी यह सम्पूर्ण तहकीकात के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16/5/2016 निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी के कम हुये रकबे के सम्बन्ध मे तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर विधिवत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23/2/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी :
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर